न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 29 / 2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022 / 33

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जी पंवार मैसर्स माँ नवशक्ति मार्ट, मैन बाजार, बाँसवाडा रोड, कुशलगढ। 2. श्री भरत कुमार पुत्र श्री दशरथ लाल मालिक माँ नवशक्ति मार्ट, मैन बाजार, बाँसवाडा रोड, कुशलगढ।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 26–04–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20–01–2022 को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **माँ नवशक्ति मार्ट, मैन बाजार, बाँसवाडा रोड, कुशलगढ** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह** उपस्थित थे। **श्री महेन्द्र सिंह न बताया कि भरत कुमार पुत्र दशरथ लाल मालिक है।** विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **लाल मिर्च पाउडर (Brand- HMB) के 250 ग्राम के 40 पैक** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा लाल मिर्च पाउडर (Brand- HMB) के आठ पैक** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 440 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **लाल मिर्च पाउडर (Brand- HMB) के चार** भाग कर चार पैकेट तैयार कर चारो पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में रख बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक जिला [illegible] अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:45 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/21–22 दिनांक 12.02.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 112 दिनांक 01.02.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **लाल मिर्च पाउडर (Brand- HMB)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **लाल मिर्च पाउडर (Brand- HMB)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 26–04–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17.05.2022 को अभियुक्तगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/21–22 दिनांक 12.02.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 112 दिनांक 01.02.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **लाल मिर्च पाउडर (Brand- HMB)** का नमुना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **लाल मिर्च पाउडर (Brand-**

न्याय निर्णयन अधिकारी

HMB) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 क धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम क धारा 51 व धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाक **श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जी पंवार मैसर्स माँ नवशक्ति मार्ट, मैन बाजा बाँसवाडा रोड, कुशलगढ को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), श्री म कुमार पुत्र श्री दशरथ लाल मालिक माँ नवशक्ति मार्ट, मैन बाजार, बाँसवाडा रो कुशलगढ को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डि किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अ प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्मा राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पे करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चाला प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिक
(अति० जिला कलक्ट
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.30 10:58:45 IST
Reason: SelfAttested